अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्न – एनपीएस वात्सल्य

1. एनपीएस वात्सल्य खाता खोलना

1. एनपीएस वात्सल्य क्या है ?

एनपीएस वात्सल्य राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत एक अंशदायी पेंशन प्रणाली है। इसका उद्देश्य पेंशन प्राप्त समाज का निर्माण करना और कम उम्र से ही सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने की आदत डालकर बच्चों के सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना है।

2. एनपीएस वात्सल्य कौन सब्सक्राइब कर सकता है ?

एनपीएस वात्सल्य भारत के उन सभी नागरिकों के लिए खुला है जिनकी उम्र अठारह वर्ष से कम है। यह खाता नाबालिग की ओर से अभिभावक द्वारा खोला और परिचालित किया जाएगा।

3. एनपीएस वात्सल्य खाता खोलने के क्या लाभ हैं?

एनपीएस वात्सल्य खाता खोलने से बच्चे को सेवानिवृत्ति के लिए बचत की शुरुआत करने में मदद मिलती है और कम उम्र से ही उनमें बहुमूल्य वित्तीय सीख मिलती है। इससे वित्तीय नियोजन और अनुशासन के महत्व की समझ विकसित होती है, जिससे बच्चे को जीवन भर लाभ मिल सकता है।

4. एनपीएस वात्सल्य खाता कैसे परिचालित होता है?

अ. यह खाता नाबालिग के नाम पर वास्तविक या कानूनी अभिभावक द्वारा खोला जाता है।

बी. इस खाते का एकमात्र लाभार्थी नाबालिग ही होता है।

सी. नाबालिग के नाम पर एक विशिष्ट स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) जारी किया जाता है।

डी.यह खाता नाबालिग के वयस्क होने (18 वर्ष) तक उसके विशेष लाभ के लिए अभिभावक द्वारा संचालित किया जाता है।

5. एनपीएस वात्सल्य खाता खोलने की प्रक्रिया क्या है?

एनपीएस वात्सल्य खाता निम्नलिखित माध्यमों से खोला जा सकता है:

ए. पीएफआरडीए (प्रमुख बैंक, इंडिया पोस्ट और पेंशन फंड आदि) के साथ पंजीकृत पॉइंट ऑफ़ प्रेजेंस (पीओपी) से या तो ऑनलाइन या भौतिक मोड में, सीधे या सेवानिवृत्ति सलाहकारों / पेंशन एजेंटों के माध्यम से।

बी. एनपीएस ट्रस्ट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (ईएनपीएस)।

6. एनपीएस वात्सल्य खाता खोलने के लिए केवाईसी आवश्यकताएं क्या हैं?

ए. अभिभावक पर लागू केवाईसी मानदंड पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होने चाहिए।

बी. न्यायालय द्वारा नियुक्त कानूनी अभिभावक के मामले में, कानूनी अभिभावक की नियुक्ति के संबंध में न्यायालय के आदेश की एक प्रति केवाईसी दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

7. एनपीएस वात्सल्य खाता खोलने के लिए नाबालिग के कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

नाबालिग के लिए जन्म तिथि का प्रमाण अपेक्षित हैं, स्वीकार्य दस्तावेज़ निम्ननुसार हैं:

ए. नाबालिग का जन्म प्रमणपत्र

बी. संबंधित राज्यों के उच्चतर माध्यमिक बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई, आदि द्वारा जारी विद्यालय परित्याग प्रमाणपत्र/ मैट्रिकुलेशन।

सी. नाबालिग का पासपोर्ट

डी. पैन

8. क्या एनपीएस वात्सल्य खाता खोलने के लिए बैंक खाता आवश्यक है**?**

ए. भारतीय निवासियों के लिए खाता खोलने हेतु नाबालिग के बैंक खाता का विवरण या नाबालिग के साथ संयुक्त खाता अनिवार्य नहीं है, परन्तु 18 वर्ष की आयु से पूर्व आंशिक आहरण या निकासी के समय इसकी आवश्यकता होगी।

बी. अनिवासियों के लिए एनआरई या एनआरओ खाते का विवरण अनिवार्य है।

9. जब नाबालिग 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर लेता है तो क्या होता है**?**

ए. यह खाता परिचालित रहेगा और इसे अखिल नागरिक मॉडल के तहत एनपीएस-टियर 1 खाते में आसानी से परिवर्तित कर दिया जाएगा।

बी. परिवर्तन के उपरांत, सभी नागरिकों के लिए एनपीएस-टियर I मॉडल की विशेषताएं, लाभ और निकास मानदंड लागू होंगे।

सी. वयस्क होने के तीन महीने के भीतर सब्सक्राइबर का नया केवाईसी कराया जाना चाहिए। नए केवाईसी प्रस्तुत करने के बाद एनपीएस टियर 1 खाते में योगदान की अनुमति दी जाएगी।

10. क्या कोई एनआरआई या ओसीआई एनपीएस वात्सल्य खाता खोल सकता है?

ए. नाबालिग भारत का नागरिक होना चाहिए।

बी. अभिभावक प्रवासी भारतीय (एनआरआई) या भारत का विदेशी नागरिक (ओसीआई) हो सकता है।

सी. एनआरआई या ओसीआई अभिभावकों के लिए एक अलग फॉर्म लागू है।

डी. यदि अभिभावक एनआरआई या ओसीआई है, तो बैंक खाता (एनआरई या एनआरओ) अनिवार्य है।

11. क्या योजना में शामिल होते समय नामांकन प्रस्तुत करना आवश्यक है?

नहीं, इस योजना के अंतर्गत अभिभावक ही नामित व्यक्ति बन जाता है।

12. मैं कितने एनपीएस वात्सल्य खाते खोल सकता हूँ?

अभिभावक नाबालिग के लिए केवल एक खाता (प्रति बच्चा) खोल सकते हैं।

13. क्या कोई अभिभावक जो एनपीएस सब्सक्राइबर है, किसी नाबालिग के लिए एनपीएस वात्सल्य खाता खोल सकता है?

हां, कोई अभिभावक जो एनपीएस सब्सक्राइबर है, वह नाबालिग के नाम पर एनपीएस वात्सल्य खाता खोल सकता है।

II. एनपीएस वात्सल्य के अंतर्गत संचयन चरण

1. एनपीएस वात्सल्य खाते के अंतर्गत न्यूनतम और अधिकतम अंशदान क्या है?

- न्यूनतम अंशदान रु.1000 प्रति वर्ष है, और अधिकतम अंशदान की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
- इस योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए अपेक्षित प्रारंभिक अंशदान रु.1000 है।

2. एनपीएस वात्सल्य के अंतर्गत अंशदान के क्या माध्यम उपलब्ध हैं?

सब्सक्राइबर, निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम से अंशदान कर सकते हैं:

- **भौतिक माध्यम:** किसी भी पंजीकृत सेवा प्रदाता (पीओपी) के पास जाकर एनपीएस अंशदान की पर्ची सहित चेक/नकद जमा करना।
- **ऑनलाइन माध्यम**:
    - पीओपी द्वारा प्रदत्त ऑनलाइन सुविधा।
    - एनपीएस ट्रस्ट का ईएनपीएस प्लेटफॉर्म।

3. एनपीएस वात्सल्य के अंतर्गत मुझे क्या विकल्प चुनने होंगे?

एनपीएस ऑल सिटीजन मॉडल के अंतर्गत उपलब्ध सभी विकल्प एनपीएस वात्सल्य के लिए भी उपलब्ध हैं, जिनमें शामिल हैं:

- **सीआरए (केन्द्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी) का विकल्प: पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत सीआरए में से।**
- **पेंशन फंड (पीएफ) का विकल्प: पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत पीएफ में से।**
- **निधियों के आबंटन का विकल्प:**
    - **ऑटो चॉइस**:
        - कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड (एलसी25)
        - मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड (एलसी50) – डिफ़ॉल्ट
        - एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड (एलसी75)
    - **एक्टिव चॉइस:**
        - इक्विटी (ई) – अधिकतम 75%
        - कॉर्पोरेट बॉन्ड (सी) – 100% तक
        - सरकारी प्रतिभूतियाँ (जी) – 100% तक
        - वैकल्पिक आस्तियां (ए) – अधिकतम 5%

4. एनपीएस वात्सल्य में किए गए अंशदान को कैसे निवेश किया जाता है?

प्रत्येक आस्ति वर्ग हेतु पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित निवेश संबंधी दिशानिर्देशों के अनुरूप सब्सक्राइबर द्वारा किए गए अंशदान को उनके द्वारा चुने गए विकल्पों (पेंशन फंड और आस्ति आबंटन) और सीआरए में की गई प्रविष्टि के आधार पर निवेश किया जाता है:

• आस्ति वर्ग ई – बाजार पूंजीकरण के अनुसार एनएसई/बीएसई के अंतर्गत शीर्ष 200 कंपनियों के इक्विटी शेयर।

• आस्ति वर्ग सी – ऐसे कॉरपोरेट बॉन्ड/डिबेंचर जो सूचीबद्ध हैं और जिनकी रेटिंग ए से कम नहीं है।

• आस्ति वर्ग जी – सरकारी प्रतिभूतियां और राज्य विकास ऋण।

• आस्ति वर्ग ए – वैकल्पिक आस्तियां। निवेश संबंधी विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए, पीएफआरडीए की वेबसाइट के परिपत्र खंड को देखें।

5. मैं अपने एनपीएस निवेश के प्रदर्शन के बारे में कैसे जान सकता हूँ?

आपके एनपीएस निवेश का प्रदर्शन लेन-देन के विवरण में उपलब्ध है, जिसे सब्सक्राइबर वेब लॉगिन या मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। सीआरए द्वारा सब्सक्राइबर की पंजीकृत ई-मेल आईडी पर आवधिक विवरण भेजे जाते हैं, और वित्तीय वर्ष के लिए एक भौतिक विवरण सब्सक्राइबर के पत्राचार पते पर भेजा जाता है।

6. अगर मैं न्यूनतम योगदान नहीं करता हूँ, तो क्या होगा? क्या मेरा खाता बंद हो जाएगा?

यदि न्यूनतम अंशदान प्राप्त नहीं होता है, तो खाते को 'फ्रोजन' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और खाते में अंशदान करने पर इसे सक्रिय कर दिया जाएगा। एनपीएस खाता केवल तभी बंद किया जाएगा, जब कोई ग्राहक एनपीएस से बाहर निकलने के लिए किसी सेवा प्रदाता (पीओपी) को अनुरोध (भौतिक या ऑनलाइन) करता है।

7. एनपीएस वात्सल्य खाते के अंतर्गत लगाए गए प्रभार क्या हैं?

एनपीएस वात्सल्य खाते के अंतर्गत लिए जाने वाले प्रभार, सभी नागरिक मॉडल हेतु एनपीएस टियर I के समान हैं। इसका विवरण निम्नवत् है:

मध्यस्थ	प्रभार शीर्ष	सेवा प्रभार*
पीओपी	प्रारंभिक ग्राहक पंजीकरण और अंशदान अपलोड	न्यूनतम रु. 200 अधिकतम रु. 400 (स्लैब के भीतर परक्राम्य)
	कोई भी परवर्त्ती लेनदेन	अंशदान का 0.5% न्यूनतम रु. 30 अधिकतम रु. 25,000 गैर-वित्तीय रु. 30
	सतत् > 6 महीने एवं रु.1000 का अंशदान	रु.1,000 से रु.2,999 तक के वार्षिक अंशदान के लिए रु.50 प्रति वर्ष रु.3,000 से रु.6,000 तक के वार्षिक अंशदान के लिए रु.75 रुपये प्रति वर्ष रु.6,000 से अधिक के वार्षिक अंशदान के लिए रु.100 प्रति वर्ष
	ईएनपीएस (परवर्त्ती अंशदान हेतु)	अंशदान का 0.20% न्यूनतम रु.15 और अधिकतम रु.10,000 (केवल एनपीएस - सभी नागरिक और टियर-II खातों के लिए)
	निकास/आहरण प्रोसेसिंग	मूल निधि का 0.125%, न्यूनतम रु.125 और अधिकतम रु.500
सीआरए	पीआरए खोलने का प्रभार	पीसीआरए: 18 केसीआरए: 18 सीएएमएस: 18 नोट: ई-प्रान कार्ड और डिजिटल वेलकम किट केवल ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी।
	वार्षिक पीआरए रखरखाव लागत प्रति खाता	पीसीआरए : रु. 69 केसीआरए : रु. 57.63 सीएएमएस : 65
	प्रति लेनदेन प्रभार	पीसीआरए : रु. 3.75 केसीआरए : रु. 3.36 सीएएमएस : 3.50
ट्रस्टी बैंक	-	शून्य

पेंशन निधि	निवेश प्रबंधन शुल्क	0.0467% - 0.09%
एनपीएस ट्रस्ट	व्यय की प्रतिपूर्ति	प्रबंधित आस्तियों का 0.005% प्रति वर्ष
अभिरक्षक	आस्ति सर्विसिंग प्रभार	अभिरक्षा में रखी गई, आस्तियों का 0.00000001770% प्रति वर्ष

- स्थायी शुल्क ऐसे पीओपी को देय है, जिनसे अभिदाता एक वित्तीय वर्ष में छह महीने से अधिक समय तक जुड़े रहे हैं। न्यूनतम प्रति लेनदेन अंशदान ₹500/- है और न्यूनतम वार्षिक अंशदान ₹1000/- है।
- जीएसटी या अन्य कर जो लागू हों, अतिरिक्त होंगे।
- खाता खोलने और अंशदान प्रोसेसिंग के लिए पीओपी शुल्क प्रारंभिक है, और पीओपी के लिए स्थायी शुल्क सहित अन्य शुल्क वित्तीय वर्ष के अंत में सीआरए द्वारा इकाई कटौती के माध्यम से लिए जाते हैं।

9. मैं अपने एनपीएस खाते का उपयोग कैसे कर सकता हूं?

अभिदाता अपने पेंशन खाते का उपयोग निम्नलिखित माध्यम से कर सकते हैं:

- **भौतिक माध्यम से:** अपने सेवा प्रदाता (पीओपी) के पास जाकर।
- **ऑनलाइन के माध्यम से:** खाता खोलने की किट में सीआरए द्वारा प्रदान किए गए लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके।

<u>III. एनपीएस वात्सल्य से निकलने की प्रक्रिया</u>

1. क्या मैं 18 वर्ष की आयु से पहले एनपीएस वात्सल्य खाते से आंशिक रूप से राशि निकाल सकता हूँ?

- आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए आपके एनपीएस वात्सल्य खाते से आंशिक निकासी की अनुमति है। आंशिक निकासी के लिए कारण/शर्तें निम्नलिखित हैं:
  - नाबालिग ग्राहक की शिक्षा हेतु
  - नाबालिग ग्राहक की निर्दिष्ट बीमारियों के उपचार हेतु
  - नाबालिग ग्राहक की 75% से अधिक विकलांगता
  - अंशदान की अधिकतम 25% राशि (रिटर्न को छोड़कर) आंशिक रूप से निकाली जा सकती है।
  - यह सुविधा खाता खोलने की तिथि से कम से कम 3 वर्ष बाद घोषणा के आधार पर उपलब्ध है।
  - आंशिक निकासी ग्राहक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अधिकतम तीन बार की जा सकती है।

2. योजना अंतर्गत निकास के विकल्प क्या हैं?

- ग्राहक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर योजना से निकल सकता है।
- ऐसे निकास करने पर, खाते में उपलब्ध संचित कोष का कम से कम अस्सी प्रतिशत वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग किया जाना चाहिए और शेष राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाना चाहिए।
- यदि खाते में उपलब्ध संचित पेंशन राशि दो लाख पचास हजार के बराबर या उससे कम है, या पैनल में शामिल वार्षिकी सेवा प्रदाताओं ('एएसपी') से वार्षिकी की खरीद उपलब्ध नहीं है, तो ग्राहक के पास संपूर्ण संचित पेंशन राशि निकालने का विकल्प होगा।

3. 18 वर्ष से पहले मृत्यु होने की स्थिति में क्या होगा?

• नाबालिग ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में, संपूर्ण संचित राशि अभिभावक को दी जाएगी।

• यदि खाते के अंतर्गत पंजीकृत अभिभावक की मृत्यु, खाते के चालू रहने के दौरान हो जाती है, तो नाबालिग अभिदाता की ओर से किसी अन्य अभिभावक को पंजीकृत किया जाना चाहिए, जिसके लिए पीएफआरडीए द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट केवाईसी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

• माता-पिता दोनों की मृत्यु होने पर, कानूनी रूप से नियुक्त अभिभावक खाते में अंशदान के साथ या अंशदान बिना उक्त खाते को जारी रख सकते हैं और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ग्राहक योजना से निकास कर सकता है।

IV. शिकायत निवारण

1. यदि मेरी कोई शिकायत है, तो मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?

- ग्राहक की शिकायतों के समाधान के लिए प्राधिकरण ने पीएफआरडीए (ग्राहक की शिकायत निवारण) विनियम, 2015 को अधिसूचित किया है और ग्राहक के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 'केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस)'होस्ट किया गया है, जिस पर ग्राहक अपने एनपीएस खाते में लॉग-इन करके ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- शिकायत का समाधान संबंधित मध्यस्थ द्वारा शिकायत प्राप्ति के अधिकतम 30 दिनों के भीतर यथाशीघ्र किया जाना चाहिए।
- यदि अभिदाता उपलब्ध कराए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वह अपनी शिकायत को समाधान के लिए अगले उच्च स्तर पर प्रेषित कर सकता है। समाधान मैट्रिक्स निम्नानुसार है: